



मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 86वीं बोर्ड बैठक
दिनांक 20.05.2014 की कार्यवाही



आज दिनांक 20.05.2014 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 86 वीं बोर्ड बैठक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सी०एस० नपलच्चाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नानसुर सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया:-

उपस्थिति:-

1.	श्री सी०एस० नपलच्चाल, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल,	अध्यक्ष
2	श्री आर०मीनाक्षी सुन्दरम, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष, सदस्य
3.	डॉ वी०बी०आर०सी०पुरुषोत्तम, जिलाधिकारी देहरादून।	सदस्य
4	श्री अरुणेन्द्र चौहान, अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5	श्री बंशीधर तिवारी, अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून	सदस्य
6.	श्री विजय पाल शर्मा, नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य
7	श्री एस०सी०पन्त अधिशासी अभियंता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून	सदस्य

अन्य उपस्थिति:-

1. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
2. मुख्य लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
3. अधिशासी अभियंता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण

गैर सरकारी सदस्य:

1. श्री विजय बग्गा, सभासद नगर निगम
2. श्री मंगेश कुमार, सभासद नगर निगम
3. श्री प्रदीप गोयल, सभासद नगर निगम



सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया एवं पूर्व में प्राप्त अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में अवगत कराया गया तथा प्राधिकरण की 86 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं एजेण्डा बिन्दु को पढ़ने हेतु अनुमति प्रदान की गयी:-

विषय क्रमांक 1 :- विगत वर्ष 2013-14 के पुनरीक्षित आय व्यय का अनुमोदन एवं चालू वित्त वर्ष 2014-15 के मूल आय व्यय का अनुमोदन।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2014-15 का बजट सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया एवं अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले शमन शुल्क का न्यूनतम 90 प्रतिशत के सीमान्तर्गत अवस्थापना मद में धनराशि का हस्तान्तरण वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

विषय क्रमांक 2 :- देहरादून महायोजना 2025 (संशोधित) के जोनल डेवलपमेंट प्लान तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया तथा विस्तृत चर्चा के उपरान्त अपर सचिव, वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्यवाही सिंगल सोर्स से कराया जाना उचित नहीं है, अतः निविदा आमंत्रित कर उक्त कार्य का सम्पादन किया जाये तथा पूर्व में किये गये सर्वे तथा उपलब्ध आंकड़ों को निविदा प्रक्रिया का भाग बनाया जाये।

विषय क्रमांक 3 :- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण में अनियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों को छठे वेतनमान के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव वित्त के आदेश संख्या 258/अ०मु०स०/पी०एस०/2013 दिनांक 01 नवम्बर 2013 के अनुपालन में परिचालन के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड से पूर्व में स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। तत्कालीन आयुक्त/अध्यक्ष महोदय के आदेश के कम में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिये गये।



विषय क्रमांक 4 :- वाद संख्या सी-237/एस-2/2013 के द्वारा योजित वाद को शमनित करने के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विस्तृत प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय क्रमांक 5 :- प्राधिकरण के लिए दो वाहन क्य करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात् प्राधिकरण के लिए कार्यहित में रिप्लेसमेंट के आधार पर दो इनोवा वाहन क्य किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

अनुपूरक विषय क्रमांक 1:- प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध निर्माण एवं अतिकमण के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि एम०डी०डी०ए० एवं राजस्व के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सरकारी भूमि पर किये गये अतिकमण को हटाने एवं अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। इस सम्बन्ध में आयुक्त/अध्यक्ष कार्यालय स्तर से पूर्व मे पत्र भी जारी हुआ है।

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

आयुक्त, 20/५/१४
गढ़वाल मण्डल /
अध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।
(सी एस.नपलच्छाल)
आयुक्त
गढ़वाल मण्डल
पौड़ी